




F.42(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020-21/1062

दिनांक:- 25/9/21

आदेश

Bridge Programme Certificate Course in Community Health for Nurses (BPCCHN) करवाये जाने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F.42(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020-21/1036 दिनांक 15.09.2021 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ लगाये गये सीएचओ अभ्यर्थियों को दिनांक 20 सितम्बर, 2021 को सभी मूल दस्तावेज व उनकी स्वयं सत्यापित छायाप्रति तथा सीएचओ भर्ती-2020 की विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बॉर्ड (on Rs 500/- non- Judicial Stamp paper duly notarized) के साथ सूची अनुसार आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेन्टर (नर्सिंग कॉलेज एवं GNMTC तथा ANMTC) पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त अवधि पूर्व मे आदेश क्रमांक 1053 दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिनांक 24.09.2021 तक बढ़ा दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 27.09.2021 तक किया जाता है। सम्बन्धित आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेन्टर (नर्सिंग कॉलेज एवं GNMTC तथा ANMTC) उक्तानुसार रिपोर्टिंग लिया जाना सुनिश्चित करें।


(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पओ कओ
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम


F.42(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020-21/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
5. निजी सहायक, निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजओ सरकार।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
9. प्राचार्य/अधीक्षक प्रोग्राम स्टडी सेन्टर (प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एवं GNMTC तथा ANMTC) को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, समस्त जिले राजस्थान को आवश्यक पालनार्थ।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने हेतु पालनार्थ।
12. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त जिले को आवश्यक सूचनार्थ।
13. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में उपस्थिति देने हेतु सूचनार्थ।
14. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई-मेल एवं वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम